15-6-18 को पेश हो।

हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर
दौसा

15-6-18

न्याय आपके द्वार 2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कालेटा में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी प्रभुदयाल कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुये। उभयपक्ष को कैम्प कोर्ट में सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिमार्क का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 125 रकबा 6 बीघे भूमि को प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 प्रभुदयाल से नाईपे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय करने के पश्चात क्रयशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया इस प्रार्थीगण के पक्ष में

हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर
दौसा

अ.नि. नर्बदा

प्रेमदयाल

अ.नि. तोमी

अ.नि. कस्तूरी

अ.नि. छाबी

पाया जाता है। (ii) सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी मान के पक्ष में पाया जाता है। (iii) अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- वादग्रस्त भूमि जोरावर सिंह विक्रय पत्र के अधार्ग से हस्तान्तरित नहीं तथा वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण नहीं कब्जा काश्तकार होने से यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम कालेता स्थित ख.नं. 125 रकबा 0.9 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदाजी नहीं करें। पक्षकार के कब्जे तथा यथास्थिति हुआ है कि नकल से मनचाहे तथा यथास्थिति पूर्वावलोकन आदेश एवं मूल वाद के निर्णय राजस्व मार्क अदालत कालेता के मामले आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा